

20.05.2025:—पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गइ। । प्रार्थी द्वारा अपना मूल वादपत्र विद्वा कर लिया गया है। मूल वाद पत्र विद्वा होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

*01/25*  
सहायक कागपट्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हुमानगढ़

